



“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रभाव : बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन”

सुश्री सीमा खण्डायत

पी-एच.डी. षोडार्थी

पण्डित एस.एन.षुकल वि.वि.षहडोल (म.प्र.)

Email- seemakhandayat@gmail.com

षोध निदेशक

डॉ. चेतना सिंह

सह प्राध्यापक राजनीति विज्ञान

पण्डित एस.एन.षुकल वि.वि.षहडोल (म.प्र.)

सारांषः—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामवासियों के उनके निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनका विकास करने हेतु केन्द्र सरकार की योजना है। इसमें प्रत्येक राज्य की सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुरूप एक योजना तैयार करती है। इस योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार की गारंटी व प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को साकार करने की कोशिश की जाती है। बाकी कानूनों से तुलना की जाए तो मनरेगा सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'हर हाथ को काम और हर काम को दाम' है। आदिवासी खासकर जो ग्रामों में निवासरत है उन्हें



मनरेगा के आने से रोजगार प्राप्त हुआ जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा पैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है।

1.प्रस्तावना:—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 02 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुषल मजदूरी करने के लिए तैयार है।

मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से पुरु किया गया था। मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य टिकाऊ संपत्तियां बनाना जैसे— सड़के, नहरे, तालाब, और कुएं आदि तथा आवेदक के निवास के 5 कि.मी. के भीतर रोजगार प्रदान करके न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है परंतु कृषि कार्य को भारत में पेशे का स्वरूप न देकर इसे मौसमी कार्यो का स्वरूप दिया गया है अर्थात एक कृषक, कृषि कार्य के पश्चात् बेरोजगारी का सामना करता है और यही से गरीबी की ओर अग्रसर होता है ऐसे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सभी वर्ग, समुदाय, जाति व लिंग को 100 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

2.अध्ययन के उद्देश्य :-

- मनरेगा का आदिवासियों की सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।



- मनरेगा का आदिवासियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

3. शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत षोध वर्णनात्मक षोध-प्ररचना की मान्यताओं पर आधारित है।

- 3.1 अध्ययन का क्षेत्र: – मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के अन्तर्गत 3 तहसीलों का अध्ययन किया गया लांजी, परसवाड़ा, बैहर।
- 3.2 अध्ययन की इकाई: – अध्ययन क्षेत्र में निवासरत आदिवासी परिवार का वयस्क सदस्य।
- 3.3 अध्ययन का निदर्शन: – शोध कार्य में तथ्यों के संकलन हेतु उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के माध्यम से बालाघाट जिले की तीन तहसीलों में निवासरत आदिवासियों का अध्ययन किया गया, जिनमें 60 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार प्रणाली के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई।
- 3.4 समंक संकलन की विधि –

प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, समूह चर्चा, व्यक्तिक अध्ययन के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया।

द्वितीय तथ्य संकलन हेतु मनरेगा से संबंधित साहित्य, पुस्तके, जर्नल, षोध प्रबंध, पत्र-पत्रिकाये, समाचार-पत्र, जनगणना रिपोर्ट व षोध पत्रों द्वारा प्राप्त जानकारियों तथा समंकों के माध्यम से संकलन किया गया



4.उत्तरदाताओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवलोकन तथा विश्लेषण –

सामाजिक स्थिति का अध्ययन

तालिका क्रमांक – 1.1

मनरेगा में कार्यरत उत्तरदाताओं का लिंग सम्बन्धी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पुरुष	42	70
2	महिला	18	30
	कुल योग	60	100

उपर्युक्त तालिका के समंकों से स्पष्ट होता है कि अध्ययनित क्षेत्र में 70 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता तथा 30 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया गया।

अध्ययनित क्षेत्र में महिलाओ की अपेक्षा पुरुष उत्तरदाताओ का प्रतिशत अधिक पाया गया, साथ ही यह भी पाया गया कि मनरेगा के आने के पूर्व महिलाएँ घरेलू कार्य किया करती थी मनरेगा के आने के पश्चात् महिलाओं की कुशल श्रम करने की जिज्ञासा के साथ ही संख्या भी बड़ी है।

तालिका क्रमांक – 1.2

मनरेगा में कार्यरत उत्तरदाताओं का आयु सम्बन्धी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	18–28 वर्ष	19	31.6



2	29–39 वर्ष के बीच	29	48.3
3	40 वर्ष से अधिक	12	20
	कुल योग	60	100

उपर्युक्त तालिका के प्राप्त समंको से स्पष्ट होता है, कि अध्ययनीत क्षेत्र में मनरेगा में कार्यरत आदिवासियों में 29 से 39 वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं की संख्या अधिक 48 प्रतिषत पाई गई क्योंकि ये विवाहित होकर पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन गाँव में रहकर स्थायी रूप से रहकर करते हैं, इसलिए इनके लिए मनरेगा एक बेहतर रोजगार प्राप्त करने का विकल्प होता है। चूंकि अधिकांशतः 18 से 28 वर्ष के युवा अध्ययनरत होते हैं तथा कुछ युवा रोजगार के लिए अन्य षहरों में पलायन करते हैं इसलिए इनकी संख्या 31.6 प्रतिषत पाई गई। 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाताओं की संख्या सबसे कम 20 प्रतिषत पाई गई।

तालिका क्रमांक – 1.3

आर्थिक स्थिति का अध्ययन

मनरेगा में कार्यरत उत्तरदाताओ के परिवार का वर्तमान व्यवसाय संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	कृषि	11	18.3
2	मनरेगा मजदूरी	29	48.3
3	व्यवसाय	05	8.3
4	सरकारी नौकरी	15	25
	कुल योग	60	100



परिवार का वर्तमान व्यवसाय के सम्बन्ध में उपर्युक्त तालिका से प्राप्त समकों से स्पष्ट होता है कि, अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिले में कृषि करने वाले आदिवासी परिवार 18.3 प्रतिशत, मनरेगा मजदूरी करने वाले 48.3 प्रतिशत, व्यवसाय करने वाले 8.3 प्रतिशत, सरकारी नौकरी करने वाले 25 प्रतिशत आदिवासी उत्तरदाता पाये गये। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा से मजदूरी कर आय प्राप्त करने वाले सर्वाधिक उत्तरदाता पाये गये। जिससे कहा जा सकता है कि मनरेगा की ग्रामीण आदिवासियों को रोजगार दिलाने में मुख्य अहम भूमिका है।

तालिका क्रमांक – 1.4

क्या मनरेगा के आने से निम्न आदिवासी वर्ग की आर्थिक स्थिति सशक्त हुई है

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	60	100
2	नहीं	00	00
	कुल योग	60	100

उपर्युक्त तालिका से प्राप्त समकों से स्पष्ट होता है कि, अध्ययन क्षेत्र में षत् प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि मनरेगा ने आदिवासियों को सौ दिन का रोजगार दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त किया है। मनरेगा के लागू होने के पूर्व की तुलना में वर्तमान में मनरेगा से आसानी से ग्रामीणजनों को रोजगार उपलब्ध हो पाया है जिससे आदिवासियों की आमदनी बढ़ी है जिससे उनमें सुधार हुआ है।

5.निष्कर्ष:-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है इस योजना के माध्यम से आदिवासियों को ही नहीं बल्कि



समूचे अकुषल राज्यवासियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है जिसका उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

2. मनरेगा के आने के पूर्व महिलाएँ घरेलू कार्य किया करती थी मनरेगा के आने के पश्चात् महिलाओं की कुषल श्रम करने की जिज्ञासा के साथ ही संख्या भी बढ़ी है।
3. अध्ययनीत क्षेत्र में मनरेगा में कार्यरत आदिवासियों में 29 से 39 वर्ष की आयु के उत्तरदाताओं की संख्या अधिक पाई गई क्योंकि ये विवाहित होकर पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन गाँव में रहकर स्थायी रूप से रहकर करते हैं, इसलिए इनके लिए मनरेगा एक बेहतर रोजगार प्राप्त करने का विकल्प होता है।
4. अध्ययन क्षेत्र में मनरेगा से मजदुरी कर आय प्राप्त करने वाले सर्वाधिक उत्तरदाता पाये गये। जिससे कहा जा सकता है कि मनरेगा की ग्रामीण आदिवासियों को रोजगार दिलाने में मुख्य अहम भुमिका है।
5. मनरेगा के लागू होने के पूर्व की तुलना में वर्तमान में मनरेगा से आसानी से ग्रामीणजनों को रोजगार उपलब्ध हो पाया है जिससे आदिवासियों की आमदनी बढ़ी है जिससे उनमें सुधार हुआ है।

6.सुझाव :-

1. राज्य सरकार द्वारा योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सके।
2. आदिवासियों की उचित भागीदारी हो इसके लिए आरक्षण को उचित तरीके से क्रियान्वित करवाना चाहिए।
3. मस्टर रोल में प्रविष्टि करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए।
4. मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए कानून बनाना चाहिए जिसमें षक्त सजा का प्रावधान हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. पंत, डी.सी. 'भारत में ग्रामीण विकास' कैलाष पुस्तक सदन, भोपाल, 1998
2. डॉ. सिन्हा, वी.सी. 'भारतीय अर्थव्यवस्था एवं साख्यिकी ' एस.बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस मथुरा (2005)
3. षर्मा, महेश, 'महात्मा गांधी नरेगा', महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (2008)
4. डॉ.जयसवाल,सीमा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यो का अध्ययन' इंडियन स्ट्रीम रिसर्च जरनल (दिस.2016)